न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः—संजय गोयल — आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्याः— 268/2012

1. हरीकिशन पुत्र किशन लाल } जाति लोधा निवासी नगला करन
2. रूपसिंह पुत्र लालू } सिंह, तह0 व जिला भरतपुर।
3. रत्ती पुत्र निन्नू } जाति लोधा निवासी नगला करनसिंह
4. छिद्दू पुत्र निन्नू } तह0 व जिला भरतपुर।
5. वासदेव पुत्र नानगा जाति लोधा हाल वार्ड पंच ग्राम पंचायत तुहिया तह. व जिला भरतपुर। .....वादीगण

बनाम

1. मोतीलाल } पिसरान गिरधर जाति लोधा निवासी नगला
2. बनयसिंह } करनसिंह तह0 व जिला भरतपुर।
3. भजनलाल

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांकः— 03—10—2019

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अंतर्गत धारा 88—89—188 आर.टी.ए. विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि साविक आराजी खसरा नं0 37 रकबा 2—7 एवं 38 रकबा 3:10 किता 2 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा के प्रतिवादीगण नं0 1 वाके ग्राम ग्राम नगला करनसिंह स्थित के वहिस्सा बराबर बराबर के खातेदार हैं, जिसके हाल बन्दोबस्ती खसरा नं0 40/16, 41/38, 42/27, 43/27 बने हैं, जिनमें खसरा नं0 43/27 से निष्फ हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 ने अपने पुत्र प्रतिवादी नं0 3 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिया है।

प्रतिवादीगण के साविक आराजी खसरा नंबर 38/3:10 के चपेटवां पानी की पोखर (तालाब) जब से गांव बसा है, बनी हुई है, जो पशुओं को पानी पीने एवं गांव वासियान को पानी लेने एवं मिट्टी आदि उठाने के काम में आती है। अन्य कोई पोखर नहीं है इसी पोखर के पानी भरने से कुंओं में भी मीठा पानी

रहता है। प्रतिवादीगण बहुत ही चालाक किस्म के आदमी हैं, जिन्होंने बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारीगण से मिलकर खसरा नं0 38 से बना नया नम्बर 43/27 रकबा 27 एयर गैरमुमकिन पोखर में बनवाकर अपने नाम खातेदारी में अंकन करा लिया तथा मिलान में खसरा नंबर 37 रकबा 2–7 रकबा को बढवाकर दो नम्बर 40, 41 दिखा दिए जबकि खसरा नं0 37 का रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा था जिसका हाल में मात्र 38 एयर रकबा ही आना था जिसमें खसरा नं0 41/38 से 27 एयर रकबा साविक खसरा नं0 38 से बना है जिसको गलत तरीके से मिलान क्षेत्रफल में साविक खसरा नं0 37 में दिखाया गया है। अब इस प्रतिवादी के नाम खसरा नं0 43/27 रकबा 27 एयर रकबा पोखर सामलाती का बन्दोबस्त विभाग वालों ने गलत अंकन किया है जिसे वादीगण दुरुस्त कर गैर मुमकिन पोखर साविक के अनुसार हाल में करा पाने के अधिकारी हैं।

प्रतिवादी नं0 1 ने चालाकी से इन्द्राज बदलने की नीयत से विवादित आराजी खसरा नं0 43 की रजिस्ट्री अपने पुत्र प्रतिवादी नं0 3 के नाम अंकन करा दी जबकि प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज खिलाफ कानून है जो काबिल कलमजन के है।

आराजी खसरा नं0 43 गैर मुमकिन पोखर का नंबर है जिसमें सभी गांव वालों का हित निहित है इसी कारण वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध दावा दुरुस्ती इन्द्राजात का पेश कर रहे हैं। मुताबिक धारा 16 राज0टी0ए0 के तहत सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर किसी को खातेदारी भी नहीं मिल सकती तथा बंदोबस्त विभाग को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के खातेदारी दर्ज करने एवं बदलने के भी अधिकार नहीं हैं। यह इन्द्राज खिलाफ कानून दर्ज किए हैं जो काबिल दुरुस्ती के है।

वादीगण को इन गलत इन्द्राजात की अब तक कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन दि0 22.06.2007 को प्रतिवादीगण ने पोखर में मिट्टी डालकर कब्जा करना चाहा तो वादीगण ने रोका। इस पर पैमाइश के आदेश की धमकी दी एवं खुले में कहा कि खसरा नं0 43/27 रकबा 27 एयर उनके नाम खातेदारी में है अब जबरन कब्जा भी करेंगे। अगर प्रतिवादीगण अपने इरादे में सफल हो गए तो पोखर का नामोनिशान मिट जावेगा तथा वादीगण एवं गांव वालों को ऐसा नुकसान होगा जिसकी पूर्ति जरिये नकद से हासिल नहीं हो सकेगी। यही

Web Copy - Not Official

कारण है कि वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं।

इस प्रकार वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि यह घोषित किया जावे कि खसरा नं0 हाल बंदोबस्ती 43 रकबा 27 एयर गांव नगला करनसिंह में स्थित है जो गैर मुमकिन पोखर नगला करनसिंह की आराजी है। जिसका प्रतिवादीगण ने बंदोबस्त विभाग से मिलकर अपनी खातेदारी के खसरा नं0 38 व 37 से मिलकर बनवाया है जो कि खिलाफ कानून है जो उनकी आराजी से बढाकर पोखर में बनाया है को कलमजन किया जाकर खसरा नं0 43/27 को गैर मुमकिन पोखर दर्ज किया जावे तथा जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में संवत 2062–2065 की जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, गत जमाबंदी 2034–2037 एंव नक्शा आदि पेश किए हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये और दि0 07.11.2007 को अपना जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में अंकित किया है कि हाल खसरा नं0 43 की किस्म जमीन गैर मुमकिन पोखर नहीं है बल्कि बारानी है। वादीगण का इस आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी से पृथक गैर मुमकिन पोखर है, जिसके किनारे की जमीन पर वादीगण ने ही कब्जा कर रखा है। इस दावे के माध्यम से वादीगण को प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजी के रकबे को दुरुस्त कराने का कोई हक नहीं है। अतः दावा वादीगण खारिज किए जाने योग्य है।

दावा और जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में निम्नांकित तनकियात कायम की गईं–

तनकी नं0 1 – "आया वादीगण वादग्रस्त आराजी को गैर मुमकिन पोखर दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं।" **.....वादी**

तनकी नं0 2 – "आया वादीगण वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।" **.....वादी**

तनकी नं0 3 – "आया वादीगण ने प्रतिवादीगण को महज तंग व परेशान करने के लिए झूठा दावा प्रस्तुत किया है।" **...प्रतिवादी**

तनकी नं0 4 – "आया वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।" .....**प्रतिवादी दादरसी ?**

तत्पश्चात पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में गवाह हरीकिशन का शपथ पत्र पेश हुआ, जिस पर दि0 14.05.2010 को जिरह पूर्ण हुई। तत्पश्चात दि0 14.05.2010 को साक्ष्य वादी बंद की जाकर प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में नियत किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह बनय सिंह का शपथ पत्र पेश हुआ। अन्य कोई साक्ष्य न आने पर दि0 18.03.2016 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

पत्रावली पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। उनके द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है –

तनकी नं0 1 – "आया वादीगण वादग्रस्त आराजी को गैर मुमकिन पोखर दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं।"– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वाके नगला करनसिंह तहसील भरतपुर स्थित गत खसरा नं0 37 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा एवं खसरा नं0 38 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा के बंदोबस्त विभाग ने हाल खसरा नं0 40/0.16, 41/0.38, 42/0.27, 43/0.27 निर्मित किए हैं। वादीगण ने अपने दावा में कथन किया है कि प्रतिवादीगण के साविक खसरा नं0 48 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा के चिपटमा पानी की पोखर जब से गांव बसा है, तभी से बनी हुई है। पोखर पशुओं के पानी पीने व गांव वासियों के पानी लेने एवं मिट्टी आदि उठाने के काम आती है। प्रतिवादीगण ने बंदोबस्त विभाग बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों से मिलकर खसरा नं0 38 से बना नया नम्बर 43/0.27 गैरमुमकिन पोखर में बनवाकर अपने नाम खातेदारी में अंकन करा लिया तथा मिलान में खसरा नंबर 37 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा को बढवाकर दो नम्बर 40, 41 दिखा दिए जबकि खसरा नं0 37 का रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा था जिसका हाल में मात्र 38 एयर रकबा ही आना था जिसमें खसरा नं0 41/38 से 27 एयर रकबा साविक खसरा नं0 38 से बना है जिसको गलत तरीके से मिलान क्षेत्रफल में साविक खसरा नं0 37 में दिखाया गया है। अब इस प्रतिवादी के नाम खसरा नं0 43/0.27 एयर रकबा पोखर सामलाती का बन्दोबस्त विभाग

Web Copy - Not Official

वालों ने गलत अंकन किया है जिसे वादीगण दुरुस्त कर गैर मुमकिन पोखर साविक के अनुसार हाल में करा पाने के अधिकारी हैं।

पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य से जाहिर है कि साविक खसरा नं0 37 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 38 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम नगला करनसिंह में स्थित है, जो मिलान क्षेत्रफल से जाहिर है कि खसरा नं0 37 से बंदोबस्त ने हाल खसरा नं0 40/0.16, 41/0.38 निर्मित किए हैं, जो गत के मुकाबले 16 एयर अधिक है तथा खसरा नं0 38 हाल खसरा नं0 42/0.27, 43/0.27 निर्मित किए हैं। प्रतिवादीगण के रकबा वेशी होने का प्रश्न है तो वादीगण द्वारा यह कहीं भी नहीं बताया है, उक्त वेशी रकबा से उसके किस रकबा की पूर्ति होती है। पत्रावली पर उपलब्ध संवत 2034–2037 के अवलोकन पर खसरा नं0 37 व 38 जो वादीगण के पिता के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नंबर 38 रिकार्ड में गैर मुमकिन पोखर का अंकन नहीं है। इसी प्रकार हाल खसरा नंबर 40,41,42,43 में भी आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। हाल रिकार्ड में भी खसरा नं0 43 पर गैर मुमकिन पोखर का इन्द्राज नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार भरतपुर के पत्रांक 1929 दि0 25.03.2019 के संलग्न पटवारी/भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट में भी अंकित है कि हाल खसरा नं0 40,41,42 पर संबंधित खातेदारान क कब्जा काश्त है एवं खसरा नं0 43/0.27 में से लगभग 10 एयर रकबे पर पोखर तथा पोखर की पाल बनी हुई हैं, शेष भूमि पर संबंधित खातेदारान द्वारा घूरे, बाड़ा आदि बना रखे हैं, यानि कि वादग्रस्त आराजी के प्रतिवादीगण ही खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण द्वारा मुख्य रूप से खसरा नं0 43/0.27 को पोखर दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा 88–89–188 आर.टी.ए. का है, जो घोषणात्मक है। किंतु वादीगण द्वारा उक्त रकबे को रिकार्ड में पोखर दर्ज करने की रिलीफ चाही गई है, जो धारा 88–89–188 के दावे में नहीं दी जा सकती है। यदि कोई रकबा साविक में पोखर या गैर–मुमकिन दर्ज था, तो निजी व्यक्ति द्वारा रैफरेन्स नहीं किया जा सकता, इस हेतु तहसीलदार भरतपुर रैफरेन्स करने हेतु अधिकृत है। वादीगण इस तनकी को सिद्ध नहीं कर सके हैं, अतः यह तनकी विरुद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी नं0 2 – "आया वादीगण वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।" – इस तनकी को भी साबित करने का दायित्व वादीगण पर है। वादीगण अपने दावा की रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है और विस्तृत विवेचन तनकी सं0 1 में किया जा चुका है। अतः यह तनकी भी विरुद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3 – "आया वादीगण ने प्रतिवादीगण को महज तंग व परेशान करने के लिए झूठा दावा प्रस्तुत किया है।" – इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने अपने कथनों के संबंध में कोई साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं किए। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं0 4 – "आया वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।" – इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। तनकी नं0 1 व 2 का निर्णय विरुद्ध वादीगण किया जा चुका है। अतः यह तनकी भी विरुद्ध वादीगण तय की जाती है।

दादरसी ? – चूँकि तनकी सं0 1,2 व 4 विरुद्ध वादीगण एवं तनकी सं0 3 विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की गई हैं। उपरोक्त विवेचन से दावा वादीगण खारिज किए जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि

दावा वादीगण खारिज किया जाता है। विवादित वर्तमान खसरा न0 43 किस्म बारानी प्रथम अगर पूर्व में गै.मु. पोखर किस्म रहा हो तो इस बावत तहसीलदार भरतपुर सक्षम न्यायालय में रैफरेन्स प्रस्तुत करने को स्वतंत्र है। तदनुसार पर्चा डिक्री कायम हो। निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर

Web Copy Not Official